



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022021-225155
CG-DL-E-15022021-225155

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 15, 2021/माघ 26, 1942

No. 73]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 15, 2021/MAGHA 26, 1942

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2021

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/जी-67/18/डीडी/70/18/डीसी/963/18.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. नंदकिशोर परशुराम रेडिज (सदस्यता संख्या 036600), यूनिट संख्या 7, ठक्कर इंडस्ट्रियल एस्टेट, प्रथम तल, एनेक्सी 20, सी बी रोड, मझगाँव, मुंबई 400 010 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) और खंड (8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. नंदकिशोर परशुराम रेडिज (सदस्यता संख्या 036600) के नाम को 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और 25,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. नंदकिशोर परशुराम रेडिज (सदस्यता संख्या 036600) का नाम, 15 फरवरी, 2021 से 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

राकेश सहगल, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./503/2020-21]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th February, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/G-67/18/DD/70/18/DC/963/18.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Nandkishor Parshuram Redij (Membership No. 036600), Unit No. 7, Thakkar Industrial Estate, First Floor, Annexe 20, C B Road, Mazagaon, MUMBAI 400 010,** guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (7) & (8) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA. Nandkishor Parshuram Redij (Membership No. 036600) from the Register of Members for a period of 06(six) months and also imposed a fine of Rs. 25,000/-. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Nandkishor Parshuram Redij (Membership No. 036600), shall stand removed from the Register of Members for a period of 06(six) months with effect from 15th February, 2021.**

RAKESH SEHGAL, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./503/2020-21]